

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर (राज0)

क्रमांक :-स्था./2020/ 3537

दिनांक :- 04.10.2020

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दूरभाष पर दिये गए निर्देशानुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3491 दिनांक 03.10.2020 में आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि सीकर न्यायक्षेत्र में दिनांक 05.10.2020 से 16.10.2020 तक की अवधि में विशिष्ट न्यायालय यथा पारिवारिक न्यायालय सीकर, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,सीकर व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 न्यायालय (पोक्सो न्यायालय) सीकर प्रत्येक कार्य दिवस में नियमित रूप से कार्य करेंगे।

शेष आदेश दिनांकित 03.10.2020 यथावत प्रभावशील रहेगा।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
सीकर (राज0)

क्रमांक :-स्था./2020/ 3538 to 3549

दिनांक :- 04.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1- श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल,राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
- 2- समस्त न्यायालय सीकर न्यायक्षेत्र
- 3- श्रीमान जिला कलक्टर, सीकर
- 4- श्रीमान पुलिस अधीक्षक, सीकर
- 5- अध्यक्ष, जिला स्तरीय कम्प्यूटर कमेटी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, सीकर
- 6- अध्यक्ष, बार एसोसियेशन सीकर/नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर/रींगस/दांतारामगढ /फतेहपुर व लक्ष्मणगढ
- 7- लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक सीकर
- 8- सहायक निदेशक अभियोजन विभाग सीकर
- 9- जन सम्पर्क अधिकारी, सीकर को समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ
- 10- न्यायालय प्रबन्धक जिला न्यायालय सीकर
- 11- सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय सीकर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित सूचना जिला न्यायालय सीकर की वैबसाईट पर अपलोड करे।
- 12- District system administrator कम्प्यूटर शाखा (सी.आई.एस.) सीकर
- 13- आदेश/संबंधित पंजिका



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
सीकर (राज0)